(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के साथ बलात्कार एक आम बात हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस प्रकार के कितने मामले सामने आए थे;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई कठोर कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009, 2010, एवं 2011 के संबंध में बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों की राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र वार कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है।**

 **भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ ओर ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण के प्रति अत्यधिक चिंतित है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विभिन्न योजनाओं एवं सलाहकारी पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।**

 **समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए दिनांक 14 जुलाई, 2010 के एक सलाहकारी पत्र में उन्हें सलाह दी गई है कि वे विद्यालयों/संस्थाओं, छात्रों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक वाहन, चिल्ड्रेन पार्कों/खेल के मैदानों, आवासीय परिसरों/सड़कों इत्यादि पर सुरक्षा की परिस्थितियों को सुधारने के लिए समस्त कदम सुनिश्चित करें। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध बहुल क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया जाए और छात्रों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उल्लंघनों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र को स्थापित करें। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:-**

**(i) बीट कांस्टेबलों की संख्या को बढ़ाएं।**

**(ii) विशेषकर दूरवर्ती एवं एकान्त स्थलों में, पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या को बढ़ाएं।**

**(iii) विशेषकर रात्रिकाल के दौरान पुलिस गश्त को बढ़ाएं।**

**(iv) उपर्युक्त संख्या में अपराध-बहुल क्षेत्रों में पुलिस अवसंरचना के साथ पूर्णत: सज्जित पुलिस अधिकारियों विशेषकर महिला अधिकारियों को तैनात करना।**

**---**

**अनुलग्नक**

|  |
| --- |
| **वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के साथ बलात्कार के अन्तर्गत दर्ज *मामले(सीआर),आरोपपत्रित मामले,(सीएस),दोषसिद्ध मामले(सीवी),गिरफ्तार व्यक्ति(पीएआर),आरोप-पत्रित व्यक्ति(पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)*** |
|  |  | **2008** | **2009** | **2010** |
| क्रसं. | राज्य | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 412 | 396 | 33 | 484 | 485 | 48 | 416 | 344 | 25 | 492 | 426 | 36 | 446 | 453 | 25 | 559 | 564 | 30 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 11 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 16 | 0 | 12 | 15 | 0 | 14 | 13 | 0 |
| 3 | असम | 27 | 11 | 1 | 14 | 19 | 1 | 10 | 7 | 1 | 11 | 17 | 1 | 39 | 19 | 1 | 24 | 13 | 4 |
| 4 | बिहार | 91 | 92 | 5 | 96 | 109 | 5 | 63 | 67 | 3 | 66 | 75 | 8 | 114 | 75 | 5 | 112 | 98 | 2 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 411 | 401 | 71 | 436 | 434 | 87 | 394 | 396 | 96 | 431 | 426 | 87 | 382 | 361 | 103 | 426 | 430 | 89 |
| 6 | गोवा | 18 | 15 | 5 | 33 | 15 | 5 | 30 | 18 | 6 | 38 | 33 | 6 | 23 | 33 | 2 | 35 | 51 | 2 |
| 7 | गुजरात | 99 | 90 | 8 | 141 | 144 | 25 | 91 | 88 | 4 | 118 | 114 | 5 | 102 | 100 | 5 | 137 | 141 | 6 |
| 8 | हरियाणा | 70 | 72 | 23 | 110 | 109 | 30 | 116 | 107 | 32 | 115 | 116 | 57 | 107 | 93 | 24 | 121 | 117 | 27 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 68 | 47 | 11 | 65 | 51 | 13 | 83 | 80 | 11 | 90 | 83 | 12 | 72 | 76 | 8 | 107 | 115 | 11 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | झारखंड | 8 | 11 | 1 | 11 | 15 | 1 | 8 | 8 | 3 | 23 | 11 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 12 | कर्नाटक | 97 | 87 | 10 | 127 | 104 | 8 | 104 | 105 | 7 | 135 | 141 | 5 | 108 | 98 | 14 | 104 | 112 | 9 |
| 13 | केरल | 215 | 168 | 12 | 259 | 242 | 14 | 235 | 243 | 16 | 315 | 305 | 19 | 208 | 276 | 18 | 240 | 323 | 18 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 892 | 877 | 209 | 1109 | 1104 | 254 | 1071 | 1040 | 223 | 1331 | 1324 | 304 | 1182 | 1168 | 228 | 1410 | 1390 | 291 |
| 15 | महाराष्ट्र | 690 | 624 | 35 | 905 | 826 | 37 | 612 | 617 | 44 | 797 | 819 | 49 | 747 | 614 | 40 | 936 | 873 | 55 |
| 16 | मणिपुर | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | मेघालय | 34 | 24 | 0 | 32 | 28 | 0 | 60 | 22 | 0 | 48 | 25 | 0 | 91 | 36 | 2 | 64 | 47 | 1 |
| 18 | मिजोरम | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 9 | 0 | 11 | 9 | 0 | 42 | 39 | 20 | 42 | 39 | 30 |
| 19 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | उड़ीसा | 65 | 57 | 18 | 68 | 62 | 18 | 87 | 78 | 3 | 88 | 90 | 3 | 74 | 80 | 7 | 91 | 92 | 7 |
| 21 | पंजाब | 106 | 90 | 35 | 130 | 105 | 39 | 210 | 135 | 47 | 259 | 207 | 56 | 144 | 124 | 47 | 184 | 167 | 59 |
| 22 | राजस्थान | 420 | 324 | 47 | 362 | 361 | 46 | 371 | 279 | 60 | 318 | 316 | 44 | 369 | 219 | 46 | 277 | 282 | 63 |
| 23 | सिक्किम | 12 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 14 | 18 | 2 | 14 | 20 | 2 | 14 | 39 | 0 | 11 | 39 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 187 | 134 | 49 | 176 | 149 | 44 | 182 | 182 | 10 | 199 | 193 | 16 | 203 | 177 | 30 | 208 | 188 | 31 |
| 25 | त्रिपुरा | 104 | 83 | 10 | 97 | 72 | 5 | 83 | 51 | 11 | 52 | 38 | 1 | 107 | 95 | 12 | 93 | 96 | 10 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 900 | 681 | 272 | 1179 | 934 | 386 | 625 | 506 | 242 | 817 | 724 | 369 | 451 | 390 | 266 | 678 | 598 | 404 |
| 27 | उत्तराखंड | 9 | 10 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 17 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 30 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 129 | 70 | 2 | 129 | 73 | 5 | 109 | 44 | 3 | 68 | 61 | 6 | 73 | 57 | 4 | 94 | 69 | 5 |
|  | **कुल राज्य** | **5120** | **4399** | **868** | **6021** | **5491** | **1087** | **5024** | **4473** | **854** | **5868** | **5602** | **1117** | **5142** | **4659** | **916** | **5992** | **5891** | **1185** |
| 29 | अं.औरनि. द्वीपसमूह | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 28 | 21 | 1 | 15 | 8 | 0 | 23 | 8 | 0 |
| 30 | चंडीगढ़ | 10 | 5 | 4 | 12 | 13 | 5 | 21 | 8 | 5 | 20 | 9 | 7 | 16 | 21 | 6 | 27 | 26 | 8 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | दमण और द्वीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | दिल्ली संघ शासित | 301 | 292 | 72 | 312 | 359 | 84 | 307 | 263 | 80 | 387 | 385 | 104 | 304 | 277 | 92 | 349 | 419 | 172 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | पुडुचेरी | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
|  | **कुल संघ शासित** | **326** | **304** | **77** | **342** | **379** | **90** | **344** | **290** | **90** | **440** | **424** | **119** | **342** | **312** | **101** | **406** | **457** | **183** |
|  | **कुल अखिल भारत** | ***5446*** | ***4703*** | ***945*** | ***6363*** | ***5870*** | ***1177*** | ***5368*** | ***4763*** | ***944*** | ***6308*** | ***6026*** | ***1236*** | ***5484*** | ***4971*** | ***1017*** | ***6398*** | ***6348*** | ***1368*** |
|  | *स्रोत: भारत में अपराध* | *नोट:- पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।*  |  |  |